

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 359/2025

चेतनराम बनाम सरकार

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं हल्का पटवारी नेवरी व भू.अ.नि. थोब की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम तिरसीगड़ी सोढा तहसील कल्याणपुर की खाता संख्या 396 खसरा संख्या 6,7,913/9 व 914/9 कुल क्षेत्रफल 9.3887 हैक्टर भूमि के रेकर्ड में सताराम पुत्र हुकमाराम के स्थान पर चेतनराम पुत्र हुकमाराम दुरुस्ती की जावे।

प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं है, जिससे साबित हो सके कि उक्त नाम त्रुटि दौराने रेकर्ड संघारण के हुए हो। इस कारण उक्त नाम दुरुस्ती धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानों में कवर नहीं होती है तथा न ही प्रार्थी अपने आवेदन को साबित कर पाया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(अशोक कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर बालोतरा